

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि जो कि निलंबन उपरान्त इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का निर्वाह भत्ता निर्देशानुसार कॉलम संख्या-4 में अंकित विद्यालय के संस्था प्रधान के रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित कार्मिक/ शिक्षा अधिकारी के कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि में अनियोजित रहने का प्रमाण पत्र, संबंधित संस्था प्रधान, निलम्बित कार्मिक से सीधे ही प्राप्त कर, प्रकरण में पूर्ण जांच उपरांत ही कार्मिक का निर्वाह भत्ता आहरित किया जावे :-

| क्रं.सं | कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान            | अवधि                                      | स्थान/विद्यालय का नाम जहां से निर्वाह भत्ता आहरित किया जाना है                     |
|---------|---|---|--|
| I       | II  | III                                       | IV   |
| 1       | GOPAL SINGH, PRINCIPAL (RJBP199707000116)           | FROM 14-09-2022 TO TILL FURTHER ORDERS    | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PANNASAR (220476), POKARAN (08160201903 )(POKARAN)   |
| 2       | MAHIPAL SINGH CHARAN, PRINCIPAL (RJRA199731014754)  | FROM JANUARY 2023 TO TILL FURTHER ORDERS  | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADARDA (222916), RAJSAMAND (08250606601)(RAJSAMAND) |
| 3       | MOHAMMED IKRAM AJMERI, PRINCIPAL (RJCT199511005380) | OCTOBER 2022 TO DECEMBER 2022             | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEGHPURA (224086) (08290306401) CHITTAURGARH         |
| 4       | PRAMOD KUMAR, PRINCIPAL (RJBM200005005112)          | FROM DECEMBER 2022 TO TILL FURTHER ORDERS | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUSARANA BADA (211497) (08030507401) BIKANER         |
| 5       | KISHAN SINGH, PRINCIPAL (RJBN200703001138)          | 01-12-2022 TO 07-12-2022                  | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AWAYE (220451), JAISALMER (08160109308 )(POKARAN)    |

उक्त कार्मिकों की निलंबन से बहाली के संबंध में विभागीय आदेश जारी होने की दिनांक अथवा जिस पद के विरुद्ध निर्वाह भत्ता आहरित किया जा रहा है, उस पद पर अन्य शिक्षा अधिकारी का पदस्थापन आदेश जारी हो जाने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल अवगत करवाया जाना भी सुनिश्चित करावे ताकि प्रकरण में निर्वाह भत्ता आहरण की आगामी उचित कार्यवाही की जा सके।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ./निर्वाह भत्ता/2022/58 दिनांक: 31.01.2023  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, सम्बन्धित संभाग।
- 2 सिस्टम एनॉलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 3 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला।
- 4 स्टाफ आफिसर, निजी-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
- 5 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
- 6 सम्बन्धित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक।
- 7 अनुभाग अधिकारी रोकड/ वि जांच अनुभाग कार्यालय हाजा।
- 8 प्रभाग प्रभारी प्रभाग ए-2/ ए-3/ ए-4 संस्थापन एबी अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9 सम्बन्धित संस्था प्रधान एवं कार्मिक को पालनार्थ।
- 10 निजी/ रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर